



# ABM International Limited

REGD. OFFICE : 10 / 60, IND. AREA, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-110015

PHONES : 25927878, 25927699, 41426055

E-mail : vkgandhi@abmintl.in | Website : www.abmintl.in

CIN No. : L51909DL1983PLC015585

NSE TRADING SYMBOL - ABMINTLTD

To,  
The Manager  
Listing Department.  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Plot No, C/ I, G Block,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai — 400 051

06.11.2021

## Symbol "ABMINTLTD"

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of Newspaper Clipping of the Notice of Board Meeting as got published in the "Financial Express" and "Jan Satta" dated 6<sup>th</sup> November, 2021.

Kindly take note of the same.

Thanking you,

Your Sincerely

For **ABM INTERNATIONAL LIMITED**

Virender Kumar Gandhi  
Managing Director  
DIN-00244762

Wankhede not to probe cruise drugs case

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai/New Delhi, Nov 5

transferring the investigation in it and five others cases from the Mumbai unit to an SIT.

(north-west region) Mutha Ashok Jain told PTI on Friday.

Over 116.50 crore vaccine doses provided to states/UTs: Centre

MORE THAN 116.50 crore COVID-19 vaccine doses have been provided to states and Union territories so far through the Centre and direct state procurement category, the Union health ministry said on Friday.

(15,54,54,451) balance and unutilised doses are still available with the states/UTs to be administered, it said.

Active cases up to 1,48,922:

India logged 12,729 new coronavirus infections, taking the country's total tally of cases to 3,33,37,754, while active cases rose to 1,48,922, as per Union health ministry data updated on Friday.

The daily rise in new cases has been below 20,000 for 28 days, and less than 50,000 daily new cases have been reported for 131 consecutive days.

Classifieds

PERSONAL I,Palvin Tiku R/o.Flat.No-502, Sector-21/D,Plot.GH-12,Lalleshwari-Vatika, Faridabad-121001,Haryana, have changed my minor Daughter's name, from Kamakhya Tiku to Kamaakhya Tiku, permanently. 0040590710-4

I, Ashok Suri, s/o-Harbansh Lal Suri, R/o. A-17, Gali, No-1, Jagat-Puri, Krishna-Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Ashok Kumar Suri, for all, future purpose. 0040590710-6

I, Birwati Unka Samuel w/o Surinder Samuel, R/o. Flat. No-001, Front-Side In A-327, Chattarpur-Enclave-II, Delhi-110074, have changed my name from to Birwati Unka Samuel, permanently. 0040590710-5

IMPORTANT! Whistler care is taken prior to publication of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

The Federal Bank Ltd. FEDERAL BANK Your Perfect Banking Partner. NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Indian Overseas Bank Information Technology Department. www.ioab.in Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600002.

DEUTSCHE BANK AG Appendix IV [Rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE. Whereas, the undersigned being the authorized officer of Deutsche Bank AG, India ("Bank") under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002...

Form No. INC-26 BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI. In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on, the 30th day of October, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Central Bank of India POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Appendix-IV (See Rule - 8(1))

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Ghonda, Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 30/07/2021, calling upon the Borrower: M/S. SHAREEF HANDICRAFTS (Proprietor - MRS. MURSHIDA BEGUM), Mr. Sheikh Sayyad Ali (Guarantor-cum-Mortgagor) and Mr. Musiber Rehman (Guarantor), to repay the amount mentioned in notice being Rs.17,13,802.20 (Rupees Seventeen Lakh Thirteen Thousand Eight Hundred Two and Paise Twenty Only) as on 30.07.2021 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 30.07.2021.

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

FEDERAL BANK Your Perfect Banking Partner. SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS. ND/LW/SF/CO-200/2021 Date: 05.11.2021

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

WISec GLOBAL LIMITED Pursuant to the provision of Clause 49 (1) (C) of the Listing Agreement, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th November, 2021, to inter-alia, consider, approve and take on record the Un-audited result for the quarter ended on 30th September 2021.

For Wisec Global Limited Date: 03/11/2021 Place: New Delhi

Circle SASTRA Office Moga CORRIGENDUM Corrigendum to E-Auction sale notice of PNB Circle SASTRA Moga dated 18.10.2021.

The e-Auction of eligible properties which was to be conducted on 06.11.2021 now stands extended/rescheduled to 10.11.2021 (01:00 PM to 04:00 PM).

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

HDFC BANK Legal Cell Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower - A, 1st Floor, Shivaji Marg, New Delhi-110015 POSSESSION NOTICE [RULE 8(1)] (For Immovable Property)

Table with 3 columns: Customer Name, Description of Property, and Notice Date. Includes entries for M/s Al Shaif Foods Trading Co. and Residential House No. 40.

Table with 3 columns: Customer Name, Description of Property, and Notice Date. Includes entries for M/s Haarendra Singh S/o Shri Chandra Datt Singh and The Residential Flat No. 1904.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein above in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with rule 8 & 9 of the said Rules, on above mentioned dates. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to charge of the HDFC Bank Ltd. for an amount of notices mentioned above and interest thereon together with expenses and charges etc. less amount paid, if any. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the HDFC Bank Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002...



## एक और पुलिसिया फिल्म



रवींद्र त्रिपाठी  
सूर्यवंशी

निर्देशक : रोहित शेट्टी

कलाकार : अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, जैकी श्राफ, गुलशन ग्रोवर, सिकंदर खेर

ये सिंघम और सिंबा टाइप की रोहित शेट्टी की एक और पुलिसिया फिल्म है। इसमें पुलिस अधिकारी डीसीपी वीर सूर्यवंशी (अक्षय कुमार) एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख है। फिल्म सिंघम में अजय देवगन की प्रमुख भूमिका थी और सिंबा में रणबीर सिंह की। दोनों इसमें मेहमान कलाकार हैं। फिल्म का

ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। वैसे जिस समय मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अपनी ही पुलिस से भागे-भागे फिर रहे हैं उस समय रील लाइफ और रियल लाइफ का फर्क भी समझ में आ जाता है। वास्तविक जीवन में एक पुलिस अधिकारी फरार है और उसे पकड़ने के लिए शायद इसी तरह का फिल्मी ड्रामा करना पड़े।

बहरहाल, ये जो सिंघम-सिंबा मार्का सूर्यवंशी है, वो मुंबई का एक पुलिस अफसर है। इतना कर्तव्यनिष्ठ है कि अपने पत्नी रिया

जमीन पर हो या आसमान में सुर्ववंशी से बच नहीं सकता। पाताल में होता तो वहां भी नहीं बचता, पर इस फिल्म में पाताल का जिन्न नहीं है। ऐसे सूर्यवंशी को कामयाब होना ही था।

यह मूलतः अक्षय कुमार केंद्रित फिल्म है। हर एक्शन और अपराधियों का पीछा करने तथा उनको पकड़ने का हर अंदाज अक्षय कुमार का अपना है। ये रोहित शेट्टी मार्का फिल्म भी है जिसमें कई हैरतअंगेज कारनामे भरे रहते हैं। कहानी में कोई खास नयापन नहीं है लेकिन स्टाइल धांसू है और वही इस फिल्म का वह पहलू है जो लोगों को पसंद आ सकता है। अक्षय कुमार के अलावा बाकी किसी अभिनेता के करने के लिए कुछ खास नहीं है। यहां तक कि कैटरीना कैफ के पास भी करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं। बस एकाध सीन है जिसमें वे नाच गा रही हैं।

## दिल्ली में प्रदूषण का हाल



1: कश्मीरी गेट इलाके में प्रदूषण और धुंध के कारण दृश्यता न के बराबर रही।

2: वायु प्रदूषण का असर कम करने के लिए आइटीओ के पास 'स्मॉग गन' की तैनाती।

(फोटो : अरुण चोपड़ा)

## ‘एक देश एक राशन कार्ड’ प्रवासियों के लिए कारगर रही योजना

नई दिल्ली, 5 नवंबर (भाषा)।

पिछले तीन महीनों में दिल्ली में 'एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)' के 87 फीसद से अधिक लाभार्थियों के पास बिहार और उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड थे। सरकारी आंकड़ों से यह पता चला है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अगस्त से 25 अक्टूबर के बीच अन्य राज्यों के राशन कार्ड वाले लगभग 1,78,850 लोगों को दिल्ली में ओएनओआरसी के तहत अनाज की आपूर्ति की गई।

आंकड़ों के मुताबिक, ओएनओआरसी के तहत 1,78,850 बार अनाज के वितरण में से 1,55,715 या 87.06 फीसद बिहार (78,195) और उत्तर प्रदेश (77,520) में जारी किए गए राशन कार्ड पर हुए। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड रखने वाले व्यक्ति देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना मासिक अनाज कौटा ले सकते हैं।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने जारी किया पिछले तीन महीनों का आंकड़ा दिल्ली में 87 फीसद लाभार्थी उत्तर प्रदेश और बिहार के

'पोर्टबिलिटी' ई-पीओएस मशीन पर निर्भर करती है, जो लाभार्थियों की पहचान और पात्रता को सत्यापित करने के लिए आधार से जुड़े बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह योजना प्रवासी श्रमिकों और राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाली ऐसी अन्य अस्थायी आबादी के लिए एक वरदान है क्योंकि वे किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन हासिल कर सकते हैं।

अधिकारी ने बताया, 'दिल्ली में प्रवासी आबादी की ज्यादातर संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश से है, इसलिए यह संख्या शहर में ओएनओआरसी आपूर्ति में दिखती है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा अन्य

राज्यों के ओएनओआरसी लाभार्थियों में मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के लोग शामिल हैं। मध्य प्रदेश के राशन कार्ड वाले 5,764 लोगों ने अगस्त से 25 अक्टूबर के बीच दिल्ली में ओएनओआरसी योजना के तहत राशन एकत्र किया। इसी तरह, हरियाणा में बने राशन कार्ड वाले लगभग 2,313 लोगों ने इस अवधि के दौरान दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न लिया। इसके बाद राजस्थान के 1,184 लाभार्थियों ने राशन लिया।

आंकड़ों के मुताबिक जुलाई और 25 अक्टूबर के बीच अन्य राज्यों के राशन कार्ड वाले 1,94,685 लोगों को दिल्ली में ओएनओआरसी योजना के तहत अनाज की आपूर्ति की गई। जुलाई में ओएनओआरसी योजना के तहत 16,150 वितरण हुए जबकि अगस्त में यह संख्या 40,797 थी। सितंबर में, यह संख्या बढ़कर 86,430 हो गई, जबकि अक्टूबर में 25 तारीख तक दूसरे राज्य के राशन कार्ड वाले कम से कम 51348 लोगों ने ओएनओआरसी के तहत दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त राशन लिया।

## पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद 210 मामले, 143 की गिरफ्तारी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 नवंबर।

दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दिवाली की रात राजधानी के कई इलाकों का दौरा किया और अर्धसैनिक बल के एक हजार से अधिक कर्मियों को मिटाई के पैकेट वितरित किए। वहीं दिल्ली पुलिस प्रतिबंध के बावजूद पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दिवाली पर गिरफ्तारियां, पटाखे की जब्दी और मामला दर्ज करने में पीछे नहीं रही। राजधानी में एक जनवरी, 2022 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद, दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी, पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार और पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के निवासियों ने शाम सात बजे तक पटाखे फोड़ने की घटनाओं की सूचना दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए वीते 28 अक्टूबर से चार नवंबर तक 210 लोगों पर पटाखे छोड़ने के मामले दर्ज किए गए। जबकि इसी दौरान 143 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पटाखे बेचने के मामले में 125 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए तो वहीं इस मामले में 138 को गिरफ्तार किया तो

## दिवाली के दिन 116 लोगों के कटे चालान

नई दिल्ली, 5 नवंबर (भाषा)।

दिल्ली पुलिस ने दिवाली के मौके पर कोरोना मानदंडों की अनदेखी सहित नियमों के उल्लंघन के लिए 100 से अधिक चालान काटे हैं। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिवाली की रात कुल 116 चालान किए गए हैं। इनमें से 99 लोगों का चालान मास्क नहीं पहनने, दो को उचित दूरी का पालन न करने, 14 को शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन और एक व्यक्ति का चालान सार्वजनिक स्थान पर शूकने के लिए लगाया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इसके साथ ही पिछले साल 19 अप्रैल से इस वर्ष चार नवंबर तक जारी चालानों की कुल संख्या बढ़कर 3,15,093 हो गई है, इनमें अधिकांश के चालान मास्क संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए काटे गए हैं।

## दमकल विभाग को इस बार मिली कम शिकायतें

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 नवंबर।

इस बार की दिवाली में जहां प्रदूषण ने नया कीर्तिमान दर्ज किया है तो वहीं दमकल विभाग की ओर से राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली दमकल सेवा को इस दिवाली पर 152 आपात काल आए, जो पिछले साल से 25 फीसद कम और पिछले 15 साल में सबसे कम रहा।

दिल्ली दमकल सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग ने शुक्रवार को बताया कि दिवाली पर आग लगने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। दिवाली पर आग लगने की घटनाओं को लेकर आने वाले काल की संख्या बढ़ जाती है। आग लगने के मुख्य कारण पटाखे जलाना, दीये जलाते समय पर्याप्त सावधानियां नहीं बरतना और छोटे-छोटे बल्ब से सजावट करते समय छीले तारों की जांच नहीं करना और शार्ट सर्किट होता है।

गर्ग ने कहा कि यह पहली बार है कि जब केवल 152 आपात काल आए। दमकल विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दिवाली पर 117 काल आग लगने की घटनाओं से संबंधित थीं।

## दिल्ली में बढ़ेगी कोहरे व बादलों की आवाजाही

निर्माण और तोड़फोड़ की 92 परियोजनाएं बंद, जर्माना लगा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 नवंबर।

दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही व तेज हवाएं ही प्रदूषण से राहत दिलाएंगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार से बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है, और रविवार को दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलेंगी। यह असर अगले दो दिन तक भी बना रहेगा। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री कम रहा।

भारतीय मौसम विज्ञान विधान (आइएमडी) ने यह जानकारी दी कि शहर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम साढ़े पांच बजे सापेक्ष आर्द्रता 69

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 नवंबर।

दिवाली के एक दिन बाद शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 'गंभीर' श्रेणी में रहने के बीच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने शुक्रवार को उन 92 निर्माण और तोड़फोड़ परियोजनाओं को बंद कर दिया, जिन्हें धूल नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया था। प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक बयान में कहा कि शहर में निर्माण और

फीसद दर्ज की गई। आइएमडी के मुताबिक, शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाया रह

तोड़फोड़ परियोजनाओं की निगरानी के लिए क्षेत्र निरीक्षण को मजबूत किया गया और शुक्रवार को विशेष अभियान तेज कर दिया गया। उत्तरी दिल्ली जिले में 37 निर्माण/तोड़फोड़ स्थलों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए और सभी 37 स्थलों को नौ लाख रुपए का पर्यावरणीय क्षति मुआवजा (ईडीसी) अदा करने कहा गया। डीपीसीसी ने कहा कि निर्माण को रोकने के लिए नई दिल्ली जिले में 33 निर्माण परियोजनाओं को भी निर्देश जारी किए गए थे।

सकता है तथा दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान में आई गिरावट की वजह से आने वाले दिनों में मौसम ठंडा होगा। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान भी सामान्य स्तर पर आ गया है। अब शनिवार को अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

**सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
Central Bank of India  
1911 से आपका लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911  
शाखा कार्यालय: घोण्डा, पो.आ. मीरपुर, दिल्ली-110053  
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)  
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोण्डा, दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 30/07/2021 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स शरीफ हैंडिक्राफ्ट्स (मालिक - श्रीमती मुरशिदा बेगम), श्री शेख सैयद अली (गारंटर-सह-राहिन) एवं श्री मुसबैर रहमान (गारंटर)**, को दिनांक 30.07.2021 की स्थिति के अनुसार सूचना में उल्लिखित राशि **₹.17,13,802.20 (सत्रह लाख तेरह हजार आठ सौ दो रुपये एवं बीस पैसे मात्र)** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 30.07.2021 से भविष्य के ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदारों के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 30.10.2021** को ले लिया है। कर्जदारों को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **₹.17,13,802.20 (सत्रह लाख तेरह हजार आठ सौ दो रुपये एवं बीस पैसे मात्र)** और उस पर ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोण्डा, दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा। आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
निर्मित सम्पत्ति, उस पर जो कुछ भी बनाया गया है, अंतिम मंजिल तक निर्माण के अधिकार के साथ, बिजली और पानी के कनेक्शन से परिपूर्ण एवं दोनों चालू स्थिति में हैं। क्षेत्रफल परिमाण 60 वर्ग गज, माप 18 फीट \* 30 फीट खसरा नम्बर 210 / 145 में से, सम्पत्ति असर संख्या सी-55/1, गाँव घोण्डा गुजरान बाग में स्थित, गली नम्बर 7 की आबादी में, यमुना विहार रोड के पास, उत्तरी घोण्डा, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053. **जो धिरा है:**  
उत्तर: दूसरों की सम्पत्ति  
पूर्व: दूसरों की सम्पत्ति  
स्थान: दिल्ली  
दिनांक: 30/10/2021

**दक्षिण:** गली 15 फीट चौड़ी  
**पश्चिम:** दूसरों की सम्पत्ति  
प्राधिकृत अधिकारी,  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

**सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
Central Bank of India  
1911 से आपका लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911  
शाखा कार्यालय: सविता विहार, दिल्ली-110092  
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)  
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सविता विहार, दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 29/07/2021 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्री विजय कुमार जैन एवं श्रीमती आकृति जैन**, को सूचना में उल्लिखित राशि **₹.7,94,507.80 (सात लाख चौरानेह हजार पाँच सौ सात रुपये अस्सी पैसे मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 01.11.2021** को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **₹.7,94,507.80 (सात लाख चौरानेह हजार पाँच सौ सात रुपये अस्सी पैसे मात्र)** और उस पर ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सविता विहार, दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा। आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**  
सांथिक बंधक के सभी भाग एवं हिस्से की सम्पत्ति सं. एम-19, (विना छत अधिकार के दूसरी मंजिल) गाँव-उत्थनपुर, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032. **श्रीमती आकृति जैन एवं श्री विजय कुमार जैन के नाम में सम्पत्ति।** सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 800 वर्ग फीट। **जो धिरा है:-**  
उत्तर: अन्य सम्पत्ति  
पूर्व: अन्य सम्पत्ति  
दक्षिण: सड़क  
पश्चिम: अन्य सम्पत्ति  
स्थान: दिल्ली  
तिथि: 01/11/2021

प्राधिकृत अधिकारी,  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

**एमपीडीएल लिमिटेड**  
(पूर्व में मॉटे प्रोटेक्ट डेवलपर्स लिमिटेड)  
पंजीकृत कार्यालय: 11/7, मधु मेड, सेक्टर-37, फरीदाबाद, हरि-121003  
को.पो. कार्यालय: बृहत् 12, जीएफ, मैसन टॉवर-1, सेक्टर-58, गुरुग्राम-120011, हरि. (भारत)  
Ph: 0124-42234-35, E-mail: ic. mpdl@mpdl.co.in  
Website: www.mpdl.co.in CIN: L70102HR2002PLC007001

**सूचना**  
सेबी (सूचीबद्ध वित्त एवं उद्घाटन अधि.) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 11 नवंबर, 2021 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय कम्पनी के अंतर्गत वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.monnetgroup.com](http://www.monnetgroup.com) तथा स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशों पर एमपीडीएल लिमिटेड (पूर्व में, मॉटे प्रोटेक्ट डेवलपर्स लिमिटेड) अनुमति सहित नवीन कम्पनी का विवरण

तिथि: 5.11.2021  
स्थान: नई दिल्ली

**एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड**  
CIN: L51909DL1983PLC015585  
पंजी. कार्यालय: 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015  
Phone: 011-41426055, Website: www.abmint.in  
E-mail: vkgaandhi@abmint.in

**बैंड की सूचना**  
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध वित्त एवं उद्घाटन अधि.) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में अन्य बातों के अलावे 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी देखी जा सकती है। पुनः कम्पनी के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ट्रेंडिंग के विनियम, निगमनी बंध रिपोर्ट के तहत आचार संहिता के साथ पठित सेबी (एनएसएड ट्रेंडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में कम्पनी का ट्रेंडिंग रिपोर्ट कम्पनी की इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट में ट्रेंडिंग के तहत 1 अक्टूबर, 2021 से बंद है तथा कम्पनी के अंतिम वित्तीय परिणामों की सर्वजनिक घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेगा।

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिए हस्ता. (विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में अन्य बातों के अलावे 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी देखी जा सकती है। पुनः कम्पनी के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ट्रेंडिंग के विनियम, निगमनी बंध रिपोर्ट के तहत आचार संहिता के साथ पठित सेबी (एनएसएड ट्रेंडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में कम्पनी का ट्रेंडिंग रिपोर्ट कम्पनी की इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट में ट्रेंडिंग के तहत 1 अक्टूबर, 2021 से बंद है तथा कम्पनी के अंतिम वित्तीय परिणामों की सर्वजनिक घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेगा।

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 03.11.2021

प्राधिकृत अधिकारी,  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड**  
सीआइएन: L32110DL198600223501  
निगम एच.पी. कार्यालय: महानगर दूरसंचार सदन, पंचम तल, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

**सूचना**  
सेबी (एनओआरसी), 2015 के नियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 नवंबर, 2021 को होगी जिसमें अन्य बातों के अलावा-**30 सितंबर, 2021** को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए कम्पनी के अंतिम वित्तीय परिणामों पर विचार होगा और रिपोर्टें तैयार किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि एतद्द्वारा सूचित दिनांक **01.10.2021 से 14.11.2021 (दोनों दिन शामिल)** तक बंद रहेगी। यह सूचना वेबसाइट [www.mtnl.net.in](http://www.mtnl.net.in) पर अपलोड की गयी है।

कृपया महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एच.आर. सचिव), कृपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 01.11.2021

**Kohinoor Foods Ltd.**  
Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10<sup>th</sup> Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001, Ph: No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233  
E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in  
CIN - L52110HR1989PLC070351

**NOTICE**  
Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12<sup>th</sup> November, 2021 at the Registered Office of the Company situated at Pinnacle Business Tower, 10<sup>th</sup> Floor, Surajkund, Shooting Range Road, Faridabad, Haryana - 121001 to inter-alia consider the following business:  
1. To take on record the Un-audited Financial Results for the Quarter/Half Year ended on 30<sup>th</sup> September, 2021.  
2. To decide the date, time and place of 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> March, 2021.  
3. To fix the date of book closure for the aforesaid Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> March, 2021.  
4. Any other matter as may be considered appropriate by the Board.

By Order of the Board of Directors  
For Kohinoor Foods Ltd.  
Sd/-  
Deepak Kaushal  
Company Secretary & Manager (Legal)

Place: Faridabad  
Date: November 5, 2021

**ट्रक और बाइक की टक्कर में युवक की मौत**

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 नवंबर।

दक्षिणी दिल्ली के तिगरी इलाके में शुक्रवार सुबह एक सेप्टिक ट्रैक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को कथित रूप से टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 33 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। दक्षिणी जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने शुक्रवार को बताया कि इस घटना की सूचना सुबह नौ बज कर करीब 44 मिनट पर मिली। पुलिस ने बताया कि एक सेप्टिक ट्रैक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान तिगरी के जे जे कैप निवासी राकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि ट्रैक चालक जितेंद्र (33) को मौके से ही पकड़ लिया गया।